COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(745)

न्यायालय माननीय बोर्ड आफ रेवेन्यू ग्वालियर (म०प्र०)

निगरानी प्रकरण क्रमांक सन् २००६

R 269-II/06

दयाराम विश्वकर्मा आयु ५५ वर्ष तनय श्री परमन विश्वकर्मा निवासी छतरपुर सरकिट हाउस के पीछे छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म०प्र०) -------- -------- आवेदक

श्री रामेश्वर दयाल शर्मा द्वारा आज दि० 14-2-06 को पेश

बनाम

प्रवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र०

मुन्नालाल कुर्मी (फौत) तनय प्यारेलाल कुर्मी

१- श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० श्री मुन्नालाल कुर्मी आयु ४ वर्ष

२- श्री महेन्द्र तनय मुन्नालाल कुर्मी आयु २१ वर्ष

३- बृजेश तनय स्वर्गीय मुन्नालाल कुर्मी आयु १ वर्ष नाबालिग द्वारा वलीसरपरस्त मां श्रीमती शान्ती देवी

समस्त निवासीगण सरकिट हाउस के पीछे पठापुर रोड छतरपुर जिला छतरपुर म०प्र० ------------ अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक ४५१/अ-६/२०००-२००१ में पारित आदेश दिनांक २८-११-०५ के विरुद्ध अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू०रा०सं० १९५९ ।

(signature) 14-2-06

मान्यवर महोदय,

आवेदक निम्नलिखित विनम्र निवेदन सादर प्रस्तुत करता है :-

१- यहकि आराजी खसरा क्रमांक ५४६/२ स्थित ग्राम छतरपुर में से ०-०१५ आरे भूमि आवेदक की भूमिस्वामी स्वत्व की आराजी थी ।

२- यहकि उक्त आराजी में से ०-००५ आरे भूमि स्थित ग्राम छतरपुर अनावेदक स्वर्गीय श्री मुन्नालाल कुर्मी द्वारा पंजीयत विक्रयपत्र द्वारा दिनांक २०-२-१९८७ को आवेदक से मु० १०,०००) रुपये में क्रय की गई थी । उक्त भूमि उत्तर दक्षिण ४० फीट व पूर्व पश्चिम १३ फीट कुल ५२० वर्ग फीट है जिसका रकबा ०-००५ आरे लगानी ०-०४ पैसा है ।

(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 269–दो/2006 जिला छतरपुर

दयाराम विश्वकर्मा विरूद्ध मुन्नालाल दुबे आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–3–2019	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 451/अ–6/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 28–11–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि विकय पत्र के आधार पर किये गये नामांतरण को आवेदक द्वारा 12 वर्ष पश्चात अपील में चुनौती दी थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने समयबाधित मानकर निरस्त करने में उचित कार्यवाही की है। तहसीलदार न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त ने अपने आदेश से स्थिर रखा है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। आवेदक चाहे तो व्यवहार न्यायालय से विकय पत्र शून्य घोषित कराने के लिए स्वतंत्र है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर0के0 जैन) सदस्य 11.03.19	